

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान,
डब्लू-6, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर


क्रमांक : एफ3()प्राशिम/भण्डार/रख्दी नीलामी/2018/ 2323

दिनांक : 27/3/2018

:— नीलामी सूचना :—

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान, स्थित रेजीडेंसी रोड (डब्ल्यू-6, गौरव पथ) जोधपुर द्वारा, प्रयुक्त अनुपयोगी उत्तरपुस्तिकायें, ओ.एम.आर. शीट्स, समाचार पत्र, आदि सामग्री की नीलामी दिनांक 12.04.2018 (गुरुवार) को प्रातः 11.00 बजे की जायेगी। नीलामी की विस्तृत शर्तों की जानकारी विभागीय वेब साईट : <http://techedu.rajasthan.gov.in/> पर देखी जा सकती है।

रख्दी की अनुमानित लागत 8.00 लाख के लगभग होने की सम्भावना है।



(अमिता बापना)

संयुक्त निदेशक एवं सचिव
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान
जोधपुर 342001

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान जोधपुर

डब्ल्यू-6, रेजीडेंसी रोड (गौरव पथ) जोधपुर
क्रमांक एफ:3(भण्डार) प्राशिमं/रद्धी. निलामी/2018/2323

दिनांक

27 MAR 2018

—:: नीलामी की शर्तें ::—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 12.04.2018 (गुरुवार) को प्रातः 11.00 बजे मण्डल कार्यालय में रद्धी (अनुपयोगी उत्तरपुस्तिकायें, ओ.एम.आर. शीट्स, समाचार पत्र) की नीलामी की जावेगी इसमें निम्न प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

1. प्रत्येक बोलीदाता अपने प्रिण्टेड लेटर पेड पर नीलामी में शामिल होने के बाबत लिखित में प्रार्थना पत्र देते हुए, राशी रुपये 16,000/- अक्षरे रुपये सोलह हजार मात्र नकद जमा करवाने होंगे एवं पेन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।
2. नीलामी पूर्ण होने पर अधिकतम बोलीदाता को, सामान की अनुमानित राशि रुपये 8.00 लाख का चौथाई, भाग अग्रिम जमा करवाना होगा। इसका समायोजन अन्तिम तुलाई से किया जायेगा।
3. अधिकतम प्राप्त हुई दर, निलामी तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य रहेगी, विशेष परिस्थिति में आपसी सहमति से समयावधि बढ़ाई जा सकती है।
4. उत्तर पुस्तिकाओं आदि की रद्धी का उपयोग कतरन/लूग्दी बनाने में ही किया जावेगा न कि अन्य किसी तरह के उपयोग में, अन्यथा इसकी जानकारी होने पर फर्म को ब्लेक लिस्ट किया जा सकता है, इस बाबत बोलीदाता को प्रमाणन प्रस्तुत करना होगा।
5. नीलामी तिथि से 15 दिन के भीतर प्रथम चरण में उपलब्ध रद्धी मण्डल कार्यालय से उठानी होगी, सामान का वजन आवश्यक होने पर दो से अधिक धर्म कांटे पर तुलवाया जा सकता है। रद्धी के पैकिंग से लेकर तुलवाने का समस्त व्यय अधिकतम बोलीदाता वहन करेगा।
6. स्वीकृत बोली दाता को रद्धी की उपलब्धता अनुसार एक से अधिक चरणों में रद्धी उठाने के निर्देश दिये जा सकते हैं।
7. प्रत्येक दिन तुलाई के अनुसार अगले दिन उसकी पूर्ण राशि रोकडपाल के पास जमा करानी होगी।
8. नीलामी सामग्री का अवलोकन मण्डल में कार्यालय समय में दिनांक 11.04.2018 तक किया जा सकता है।
9. नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।
10. किसी भी तरह के विवाद पर न्यायिक क्षेत्र जोधपुर होगा।
11. अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निलामी कार्यवाही रद्ध करने का अधिकार सुरक्षित है।

(अमिता बापना)

संयुक्त निदेशक एवं सचिव
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान
जोधपुर 342001
(मोबाईल 9460053890)